प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 मे प्रकट तथ्यों पर विवेचन किये बिना ही एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब एवं एतराज प्रस्तुत नही किया। अपीलान्ट स्व. पतसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा पिता की सम्पति मे बराबर का हक रखती है। मेरिट पर भी मामला प्रबल था। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर विवेचन किये बिना केवल मियाद जैसे तकनीकी बिन्दू के आधार पर अपीलान्ट की अपील को निरस्त कर दिया, जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने से रेस्पोडेन्ट को जरिए स्थगन पाबन्द किया जावे कि वे नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 20.4.2003 मे अंकित भूमि का किसी भी तहर से बेचान,रहन, हस्तान्तरण आदि नही करेगें।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के हक मे प्रतीत होता है। अतः जरिए स्थगन आदेश रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत सेरणा के नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 20.4.2003 मे अंकित भूमि का किसी भी तहर से बेचान,रहन, हस्तान्तरण आदि अग्रिम आदेश तक नही करेगें। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, निर्णित हो कर मूल पत्रावली के संलग्न हो।